

16/12/24

अधिवक्ता अपीलें अफ

अधिवक्ता अपीलें ने निवेदन किया

कि यह उक्त अपील अभी नहीं पसना

पाएँ हैं। अतः अपील जरिये No. 8/35

खारिज करमावे। अधिवक्ता अपीलें के

निवेदन पर उक्त अपील जरिये No. 8/35

खारिज की जाती है। फत्रावनी इती मुताबिक

संख्या से कम होकर बाक तकमील खारिज

हस्तात हो।


राजस्व अधिकारी
पाली

Not Recd

16/12/24